



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 666 राँची, सोमवार,

19 अगस्त, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त, 2019

अधिसूचना संख्या-परिवि०-174/09-809-- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 में निम्न प्रकार संशोधन करते हैं:-

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2019

(1) इस नियमावली को झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2019 कही जाएगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(4) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के भाग-1 के सामान्य के नियम-3 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(i) नियम-3(ख) को विलोपित करते हुए संवर्ग संरचना में निम्नलिखित से अंतः स्थापित किया जाता है-

क्र.सं.	पद का नाम	पद का वर्गीकरण	वेतनमान	पद बल की संख्या
1	मोटरयान निरीक्षक	समूह-ख	7th CPC Level-6 35400-112400 (PBII 9300-34800 GP 4200)	100% (मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के स्वीकृत बल का)
2	जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी संवर्ग)	समूह-ख	7th CPC Level-9 53100-167800 (PBII 9300-34800 GP 5400)	30% (जिला परिवहन पदाधिकारी के स्वीकृत बल का)
3	उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	समूह-क	7th CPC Level-11 67700-208700 (PBIII 15600-39100 GP 6600)	10% (उप परिवहन आयुक्त -सह-सचिव, क्षे.परि.प्रा. के स्वीकृत बल का)

(ii) इस नियमावली के अधीन मोटरयान निरीक्षक के पद से प्रोन्नत जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी संवर्ग) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के पद से उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पद पर प्रोन्नत पदाधिकारी को इस संवर्ग के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान देय होगा। भविष्य में पदनाम की समतुल्यता के आधार पर अन्य वेतनमान का दावा अमान्य होगा।

(5) नियमावली के नियम-4(क)(ii) के बाद “या संबंधित विषयों में उच्चतर योग्यता” अंतःस्थापित किया जाता है।

(6) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के भाग-2 के नियम-4(ख) को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रावधान से अंतःस्थापित किया जाता है:-

नियम 4 (ख)- अनुभव:-

(i) “डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त किसी फैक्ट्री एक्ट के तहत निर्बंधित अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑटोमोबाईल अभियंत्रण कर्मशाला, जो डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहक और भारी यात्री वाहनों की मरम्मती कार्यों से सम्बद्ध हो, में मरम्मती, ओभर हॉलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम एक वर्ष का व्यवहारिक कार्य अनुभव।”

(7) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के भाग-4 के नियम-16 को विलोपित करते हुए निम्नलिखित से अंतःस्थापित किया जाता है:-

प्रोन्नति का पद सोपान-(क) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के मोटरयान निरीक्षक कोटि पर से जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पदों पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों में से 30 प्रतिशत पदों को मोटरयान निरीक्षकों को जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकेगा।

(ग) उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कुल स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत पदों को जिला परिवहन पदाधिकारी को उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकेगा।

(घ) मोटरयान निरीक्षक का पद अराजपत्रित तथा जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे।

(ङ.) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3286, दिनांक-04.04.2014 के आलोक में मोटरयान निरीक्षक से जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए प्रोन्नति हेतु कालावधि 08 वर्ष एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के लिए प्रोन्नति हेतु कालावधि 05 वर्ष होगा।

(8) उक्त नियमावली इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग